

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 02 नवम्बर, 2021

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु 'COVID - Restrictions'
(दिनांक 02 से 20 नवम्बर, 2021) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 638/USDMA/792(2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न-Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ 'COVID- Restrictions' के प्रस्तर संख्या -3, 7, 8, 20 (ii,iii,vi एवं vii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

प्रस्तर-3

COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए 'COVID - Restrictions' अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।

प्रस्तर-7

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तर-8

समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह/ other gatherings and large congregation का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

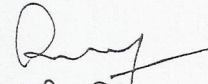
vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,



(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)

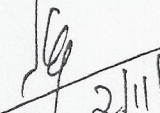
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,


(एस० ए० मुरुगेशन)
सचिव

21/11/2021

संख्या: 677/USDMA/792(2020)

कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु 'COVID - Restrictions' में सशोधन के सम्बन्ध में।